



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक 23-01-2025

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 34/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण-

दिनांक 22.01.2025 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मौहसीन उर्फ जोसीन पुत्र अय्यूब अंसारी निवासी मौ0 नई बस्ती निकट चांद मस्जिद थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बाइक पर रखा बैग जिसमें कागजात / सामान व 1650/- रुपये की नगदी थी, को चोरी कर लिया गया था, जिसे वादी चोरी किये गए बैग सहित पकडकर थाने लेकर आया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 34/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त मौहसीन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

मौहसीन उर्फ जोसीन पुत्र अय्यूब अंसारी निवासी मौ0 नई बस्ती निकट चांद मस्जिद थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

चोरी किया गया एक बैग जिसमें कागजात / सामान व 1650/- रुपये की नगदी



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 23-01-2025

थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त संचित कुमार वर्मा पुत्र सतीश कुमार निवासी मौहल्ला शिवाजीनगर कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 28/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

संचित कुमार वर्मा पुत्र सतीश कुमार निवासी मौहल्ला शिवाजीनगर कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 498 मनोज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 772 धर्मेन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. का0 2027 विपुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।